FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं मुकाम (SDO) बायतु

मलाराम बनाम सुरता वगैरा

किस्म मुकदमा राव आवेदन नं. 27/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/9/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 22/11/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/11/21	पत्रावली आज पेश हुई ग्राम पंचायत नया सोनेसर में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास व लेन-देन आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मेडे व डोली बने हुए थे जो वर्तमान में बारिश की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के मेडो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी का अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थरगढ़ी [illegible] कमिश्नर शुल्क जमा कराकर [illegible] प्राप्त होने पर शामिल [illegible] मिसल शुमार होकर दर्ज [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (signature) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/ 1292 दिनांक : 22/11/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मलाराम पुत्र गजाराम वगैरा जाति जाट निवासी सोहड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. सुरताराम पुत्र मालाराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी सोहडा तहसील गिडा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 271/21

आदेश

मौजा निम्बा की ढाणी पटवार हल्का सोहडा के खेत खसरा नम्बर 231/179 रकबा 8.0937 हैक्टयर, की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/ 1293 to 97 दिनांक : 22/11/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2021.12.13 17:08:57 IST
Reason: SelfAttested

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सोहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मलाराम वगैरा।
4. विप्रार्थीगण सुरताराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु